"दिन भर डर कर जीती हूं रातों को सहमी रहती हूं"

जुही जैन (जागोरी समूह)

कितना मुश्किल है हर वक्त डरते हुए जीना। घर में डर, सड़क पर डर, खेत-खलिहान, कारखाने में डर। इस 'महान' देश में औरत को देवी का रूप माना जाता है। इसी 'महान' देश में उसके साथ दिनदहाड़े बलात्कार होता है। मार-पीट, छेड़खानी, यौन अत्याचार होते हैं। यह बालिका दशक है। आने वाले दस सालों तक भी लड़कियों की बेहतरी के लिए काम किया जाएगा। सरकार लड़कियों के लिए नई योजनाएं बना रही है। लेकिन आंकड़े यह बताते हैं कि हर छः मिनट में एक लड़की के साथ बलात्कार होता है। समाज का यह कैसा दोहरा रूप है?

हाल में 27 जुलाई को अखबार में खबर छपी।

पुरुष—नामी, पैसे वाला और अधेड़। हैदराबाद के एक बड़े होटल में अफसर।

लड़की—ग़रीब और अबोध। तेरह साल की बच्ची जो पेट भरने के लिए नौकरानी का काम करती थी। स्थानीय अखबारों ने डी.वी.टी. अयंग्गर नाम के इस आदमी पर इल्ज़ाम लगाया है। इस आदमी ने घर में काम करने वाली बच्ची को दो महीने घर में कैद रखा। लगातार उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसके साथ बलात्कार किया। खोज-बीन से जो कहानी सामने आयी वह यह है—

अयंग्गर उर्फ़ चारयुलु ने अपनी पत्नी और विकलांग बच्चे को छोड़ दिया था। वह रानी नाम की 'कैबरे' नाच करने वाली औरत के साथ रहने लगा। उन दोनों की एक चार साल की बेटी थी। घर का काम करने और बेटी को संभालने के लिए रानी ने एक गरीब लड़की को रख लिया। कुछ दिन पहले रानी अपनी बेटी और अयंग्गर को छोड़कर चली गई। रानी के जाने के बाद अयंग्गर ने इस छोटी-सी लड़की के साथ बलात्कार किया। यह रोज़ाना का किस्सा बन गया। बाहर जाते वक्त वह लड़की को ताले में बंद कर देता था। लड़की ने अपने मालिक के ड्राइवर से मदद मांगी। वह ड्राइवर मधु भी इस ज़ुर्म में शामिल हो गया। अब उस पर अत्याचार करने वाले दो लोग थे।

लड़की के पेट में सख्त दर्द रहने लगा। जब सहा न गया तो बड़ी मुश्किल से उसने पड़ौसियों को बताया। पड़ौसियों ने तुरंत वहां की एम.एल.ए. श्रीमती लाज़ारस को बताया। इस तरह उस छोटी-सी बच्ची को इन राक्षसों के पंजे से छुड़ाया गया। लड़की ने पुलिस को बताया कि जब अयंग्गर ने पहली बार बलात्कार किया था तो उसके कपड़े फाड़ डाले थे। वे कपड़े लड़की के पास ही थे। डाक्टरी जांच से पता चला कि लड़की को दो महीने का गर्भ है। पुलिस ने अयंग्गर और मधु को नशे की हालत में गिरफ्तार कर लिया।

इस तरह के मामलों में ज़मानत नहीं होती। दोनों अपराधी जेल में हैं। सवाल यह है कि क्या इस गरीब लड़की को न्याय मिलेगा। अयंग्गर के पास पैसा है। वह बड़े वकील कर सकता है। वह लड़की के गरीब मां-बाप को पैसे का लालच दे सकता है। कई तरीके हैं जिनसे वह बच सकता है।

महिला संगठनों का तजुर्बा है कि ऐसे मामलों में 95फी सदी अपराधी छूट जाते हैं। औरत शारीरिक और मानसिक दुख उठाती है। समाज उसे बदनाम करता है। मर्द किसी और लड़की को शिकार बनाने के लिए खुले आम घूमता है।

आज औरतें इस सवाल को उठा रही हैं। महिला संगठन भी कमर कस के काम कर रहे हैं। आखिर कब तक औरतों के साथ नाइंसाफी होती रहेगी? यह लड़की तेरह साल की आयु में मां बन जाएगी। अभी तो उसने अपना बचपन भी पार नहीं किया। इसका भविष्य क्या होगा? क्या वह फिर किसी मर्द पर विश्वास कर पाएगी? क्या वह फिर से एक आम ज़िंदगी जी पाएगी? डर उसकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन जाएगा। उसके

साथ जो कुछ हुआ है उसे कोई कानून मिटा नहीं सकता। कोई समाज उसकी भरपाई नहीं कर सकता।

लेकिन अभियुक्तों को कड़ी सजा देकर उसके घावों पर मरहम लगाया जा सकता है। उसके साथ इंसाफ करके उसका विश्वास लौटाया जा सकता है। सभी सबलाओं से मेरा अनुरोध है कि इस अत्याचार के खिलाफ़ आवाज़ उठाएं। ज़रा सोचिए तो

''देश में गर बेटियां
अपमानित है, नाशाद हैं
दिल पे रख के हाथ कहिए,
देश क्या आज़ाद है? □